न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	26/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00077
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	04.08.2020
निर्णय दिनांक	24.05.2022

उनवान

1	काना पि.कालू गूर्जर नि.सांगणी पटवार हल्का रूपपुरा (बरसणी) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

बनाम

1	गणपत पि.बालूराम दर्जी नि.सांगणी पटवार हल्का रूपपुरा (बरसणी) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	धर्मीचन्द पि.बालूराम दर्जी नि.तेजाजी चौक शंभूगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	भंवरलाल पि.बालूराम दर्जी नि.सांगणी पटवार हल्का रूपपुरा (बरसणी) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	पुखराज पि.काना दर्जी नि.सांगणी पटवार हल्का रूपपुरा (बरसणी) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	लादू पि.काना दर्जी नि.सांगणी पटवार हल्का रूपपुरा (बरसणी) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6	बदामी पत्नि काना दर्जी नि.सांगणी पटवार हल्का रूपपुरा (बरसणी) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
7	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी	श्री पदमसिंह देथा
उपस्थित वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 6 अप्रार्थी संख्या 7	श्री विजयकुमार टेलर पैरोकार सरकार तहसीलदार आसीन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त रेकार्डेड खातेदारी भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थी की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
सांगणी (ब.)	2076 -2079	4	362	0.03	363	0.26
			364	0.13	365	0.46
			366	[illegible]	367	0.04
			368	[illegible]	369	0.19
			370	[illegible]	371	0.55

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.06.03 15:56:55 IST
Reason: SelfAttested

(2) प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण की निम्न भूमि में से रास्ता चाहता

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
सांगणी (ब.)	37 38 39 280	0.61 0.42 0.26 0.33	अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि	अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की उत्तरी मेड़ के सहारे -सहारे रास्ता चाहा गया है ।

सहायक कलेक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

(3) प्रार्थी की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री विजयकुमार टेलर द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 4 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये जाते है। भू.अ.निरीक्षक आमेसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11.2021 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभय -पक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि आवेदित भूमि में आने-जाने बाबत् पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज कराना फरमावें।

(6) भू.अ.निरीक्षक आमेसर ने अपनी रिपोर्ट / नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से सटा हुआ ग्रेवल से बना हुआ रास्ता विद्यमान है तथा प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि में से आ.नं.280 की किस्म पेटा होकर पानी का भराव क्षैत्र है। उपलब्ध वैकल्पिक रास्ता घूमकर आने से प्रार्थी ने सीधे रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आमेसर / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आमेसर से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजियात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थी द्वारा महज सुविधा की दृष्टि से रास्ता चाहा गया है जो कानून की मंशा के अनुकुल नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि की किस्म भी पेटा होकर पानी का भराव क्षैत्र है। अतः न्यायालय प्रार्थी को उनके द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं समझता है।

क्रियात्मक – आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) RTA मौके पर वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने तथा रास्ते हेतु चाही गयी भूमि डूब क्षैत्र की होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.06.03 15:56:55 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसींद जिला-भीलवाड़ा